प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं 8819 वर्ष 2022

(एसएलपी (सी) संख्या 11447/2018 से उद्भूत)

रमेश चंद्र शर्मा एवं अन्य ... अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ... प्रतिवादी (गण)

सह

सिविल अपील सं. 8820 वर्ष 2022

(एसएलपी (सी) संख्या 21323 वर्ष 2018 से उद्भूत)

अनूप सिंह (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य ..अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ... प्रतिवादी (गण)

सह

सिविल अपील सं. 8821 वर्ष 2022

(एसएलपी (सी) संख्या 2256/2019 से उत्पन्न)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जगेश्वर सिंह उर्फ जागे (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य ..अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ... प्रतिवादी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

1. ये अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय (एतश्मिनपश्चात 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित) की पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 30.03.2018 को पारित निर्णय एवं आदेश के खिलाफ किया गया हैं। पूर्ण पीठ के लिए संदर्भ निम्नलिखित परिस्थितियों में किया गयाः–

1.1 रिट याचिका सं. 61449 वर्ष 2009, श्रीमती माधुरी श्रीवास्तवा बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य[1], अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ कुछ ऐसे भू–धारकों द्वारा दायर की गई थी जिनकी भूमि **नोएडा** के निदेशक मंडल के दिनांक 07.01.1998 के निर्णय को चुनौती देते हुए **नोएडा** द्वारा अधिग्रहित की गई थी और साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.03.2009 को उक्त प्रस्ताव को दी गई मंजूरी को भी चुनौती दी गई थी जिसमें "पुश्तैनी" और "गैर–पुश्तैनी" भू–धारकों के बीच वर्गीकरण करके भुगतान के मामले में विभेद किया गया था। वे 'पुश्तैनी' भूमि धारक, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, को 3 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अतिरिक्त मुआवजा दिया गया।

---

1 (2016) 6 SCC OnLine All 2832

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

साथ ही पहले दिए गए मुआवजे पर पुनर्वास बोनस के रूप में 15 प्रतिशत के साथ–साथ अधिग्रहित भूमि के 10 प्रतिशत क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, जबकि जिन्हें 'गैर–पुश्तैनी' घोषित किया गया था, उन्हें इस अतिरिक्त लाभ से वंचित कर दिया गया। उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने दिनांक 10.05.2016 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से इस वर्गीकरण को उचित बताते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि इसका उद्देश्य के साथ सीधा संबंध है अर्थात मूल निवासियों के पुनर्वास के साथ जिनके भूमि अधिग्रहण के कारण भूमिहीन होने की आशंका है।

2. रिट याचिकाओं का एक अन्य समूह वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (एतश्मिनपश्चात ग्रे. नोएडा के रूप में संदर्भित) द्वारा मुआवजे के भुगतान में 'पुश्तैनी' और 'गैर–पुश्तैनी' भू–धारक के बीच किए गए इसी तरह के वर्गीकरण को चुनौती देते हुए दायर की गयी हैं।

3. रिट याचिकाओं पर विचार करते समय, एक अन्य खण्ड पीठ ने **श्रीमती माधुरी (उपरोक्त)** के वाद में व्यक्त विचारों से असहमति व्यक्त की और दिनांक 07.07.2017 के आदेश द्वारा वाद को एक बड़ी पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया।

4. संदर्भ के अनुसरण में गठित पूर्ण न्यायपीठ ने न्यायनिर्णयन के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:–

(i) क्या श्रीमती माधुरी श्रीवास्तवा (2016) 6 एडीजे 1 के वाद में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा प्रतिपादित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि निम्नलिखित के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा **नागपुर सुधार ट्रस्ट एवं**

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अन्य बनाम विट्ठल राव एवं अन्य[2] अधिकथित विधि और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के प्रतिकूल है?

(ii) क्या उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण (मुआवजे का निर्धारण एवं करार द्वारा पंचाट की घोषणा) नियमावली, 1997 के तहत किया गया 'पुश्तैनी' और 'गैर–पुश्तैनी' किसानों के बीच किया गया विभेद, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ युक्तियुक्त रूप से संबद्ध वर्गीकरण है?

5. दिनांक 30.03.2018 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के अनुसार, पूर्ण पीठ ने प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक और प्रश्न संख्या 2 का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया और **श्रीमती माधुरी श्रीवास्तवा (पूर्वोक्त)** के वाद में खण्ड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की। तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तरों के परिणामस्वरूप,पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं में कुछ भी अभिनिर्धारित किए जाने के लिए शेष नहीं है और उन्हें खारिज कर दिया।

6. इससे पहले कि हम वाद के तथ्यात्मक पहलुओं पर जाएं, हमें यह समीचीन लगता है कि पहले आक्षेपित वर्गीकरण में उपयोग किए गए शब्दों 'पुश्तैनी' और 'गैर पुश्तैनी' की व्युत्पत्ति का पता लगाया जाए, क्योंकि कानून के दायरे के भीतर अपनाई जाने वाली भाषा अपने आप में बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाती है, जिसे सही ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

7. 'पुश्तैनी' फारसी शब्द है और इसकी उत्पत्ति 'पुश्त' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है 'पीछे'। इस शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से पूर्वजों के संदर्भ में किया गया है। किसी भी संपत्ति, कहानी या किंवदंती, जिसकी जड़ें किसी विशेष वंश से जुड़ी हुई

---

2 (1973) 1 SCC 500

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

हैं, उसके महत्व को दर्शाने के लिए 'पुश्तैनी' शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है, चूंकि उर्दू भाषा में 'गैर' शब्द का अर्थ 'के अलावा, अन्य' है, इसलिए 'गैर–पुश्तैनी 'का अर्थ है वह जो 'पुश्तैनी' नहीं है।

8. तथापि, जो बात हमें सबसे अधिक दिलचस्प लगती है वह यह है कि एक अवधारणा के रूप में, विशेष रूप से आधुनिक निजी संपत्ति के स्वामित्व के समय से पहले, वंश परंपरा समावेशिता के लिए एक उपकरण बनी रही, न कि बहिष्करण के लिए। ऐसे संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा मुआवजे से बाहर करने के लिए "पुश्तैनी" शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से गलत व्याख्या हो सकती है। हालांकि यह वाद के गुणावगुण के लिए परिणामी नहीं है, हमारी राय में यह एक सार्थक अवलोकन है, क्योंकि कानून को शब्दों के अर्थ को वैध बनाने की शक्ति है और जिस संदर्भ में एक शब्द का उपयोग किया जाता है, उसे बदल सकता है और बदले में इतिहास बदल सकता है।

पृष्ठभूमि के तथ्य

9. 1970 के दशक के आरंभ से ही भारत में तेजी से उदारीकरण आया और इसके साथ ही व्यापक आर्थिक विकास की आस बंधी। भारतीय शहरों को पूंजी और व्यापार के बड़े वैश्विक केंद्रों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में धन लगाया गया था। इसी क्रम में दिल्ली ने एक वैश्विक शहर बनने की यात्रा शुरू की। पूंजी का यह प्रवाह शहर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर लाया, और देश भर के लोग दिल्ली में प्रवास के लिए आने लगे। प्रवासियों के इस तरह के प्रवाह को रोकने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीद के साथ शहर में आने वाले सभी लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भारत सरकार ने राजधानी के आसपास आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बनाई। इसके लिए, गुड़गांव को हरियाणा की सीमा के पार विकसित किया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौतमबुद्ध नगर जिले में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) विकसित किया गया। इस अवधि में, पूंजी के प्रवाह और प्रवासन दोनों के मामले में शहर ने बड़े पैमाने पर विकास का आनंद लिया। यह वृद्धि इतनी अभूतपूर्व थी कि यह अधिकारियों द्वारा परिकल्पित योजना अनुमानों से भी अधिक थी। इस तरह के विकास को समायोजित करने के उपाय के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, दिनांक 28.01.1991 की अधिसूचना द्वारा, गौतम बुद्ध नगर के 124 गांवों सहित 38000 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा टाउनशिप का निर्माण किया।

10. अपने नियोजित विकास के लिए, प्रत्यर्थी– ग्रे. नोएडा ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एतश्मिनपश्चात '1894 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत अपने क्षेत्रीय परिचालन क्षेत्र के भीतर भूमि का अधिग्रहण शुरू कर दिया। इसी संबंध में ग्रे. नोएडा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न गांवों में योजना विकास के लिए कुल 580.1734 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए दिनांक 03.10.2005 और 05.01.2006 की अधिसूचनाएं 1894 के अधिनियम की धारा 4 (1) और धारा 6 (1) के तहत जारी की गई थीं। उक्त अधिसूचनाओं को, जिनमें वर्तमान अपीलार्थीगण की भूमि भी शामिल थी, रिट याचिका समूह में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसमें अधिग्रहण को मुख्यतः 1894 के अधिनियम की धारा 17 (1) सपठित धारा 17 (4) के तहत मनमाने ढंग से अत्यावश्यकता खंड का उपयोग करने के आधार पर चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिका समूह को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

द्वारा **गजराज बनाम उ.प्र. राज्य**[3] के शीर्षक वाद में अभिनिर्धारित किया गया। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अत्यावश्यकता खंड को गलत तरीके से लागू किया गया था, लेकिन इस कारण से अधिग्रहण का बचाव किया कि उक्त भूमि पर पहले से ही काफी विकास हो चुका है और भूमि की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है। पूर्ण पीठ ने भूस्वामियों को मुआवजा देने के लिए पहले से भुगतान की गई मुआवजे की राशि पर 64.70% की दर से भूस्वामियों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया और रू. 2500/– वर्ग मीटर की सीमा की शर्त के साथ उनकी अधिग्रहीत भूमि के 10 प्रतिशत तक विकसित आबादी भूमि का आवंटन करने का भी निर्देश दिया। पूर्ण पीठ ने अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान या भूमि आवंटन के लिए 'पुश्तैनी' और 'गैर–पुश्तैनी' किसानों के बीच कभी कोई विभेद नहीं किया। पूर्ण न्यायपीठ ने **राधेश्याम (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**[4]**, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम देवेंद्र कुमार एवं अन्य**[5] के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लेते हुए आगे धारित किया कि केवल इसलिए कि किसानों को एक समझौते के तहत मुआवजा मिला चुका था, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इसे चुनौती देने के अधिकार को छोड़ दिया है। **गजराज (पूर्वोक्त)** के मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय की इस न्यायालय द्वारा **सावित्री देवी बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य**[6] वाले मामले में पुष्टि की गई।

11. वर्तमान अपीलार्थीगण ने अधिनियम की धारा 4 और 6 सपठित धारा 17 के तहत जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए रिट याचिका सं. 62056 वर्ष 2011 को

---

3 (2011) SCC OnLine All 1711

4 (2011) 5 SCC 553

5 (2011) 12 SCC 375

6 (2015) 7 SCC 21

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

चुनौती दी। उक्त रिट याचिका **गजराज (उपरोक्त)** के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में निस्तारित की गई।

12. इस स्तर पर यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने और 1894 के अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्रतिवादी–ग्रेटर नोएडा ने अपनी 26 वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 28.10.1997 को भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के भुगतान के प्रयोजनों के लिए भू–धारकों को 'पुश्तैनी' अर्थात्, वे भू–धारक जिन्होंने प्राधिकरण की स्थापना की तारीख अर्थात् 28.01.1991 से पहले भूमि खरीदी थी या उसके बाद विभाजन या पारिवारिक समझौते से भूमि प्राप्त की थी और 'गैर–पुश्तैनी' अर्थात वे व्यक्ति जिन्होंने इसकी स्थापना के बाद भूमि खरीदी थी, के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, मुआवजे के भुगतान के लिए भूस्वामियों के दो वर्ग बनाए गए थे और जिन्हें 'पुश्तैनी' भूस्वामियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उनके पुनर्वास के नाम पर अधिक मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था।

13. इसके बाद, 15.07.2006 को, ग्रेटर नोएडा और अपीलार्थीगण एवं अन्य भू–धारकों के बीच भूमि अधिग्रहण नियमावली, 1997 (एतश्मिनपश्चात ' नियमावली 1997' के रूप में संदर्भित) के नियम 4 (2) के तहत एक समझौता किया गया और ग्रेटर नोएडा द्वारा अपनी 26 वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार 'पुश्तैनी' भू–धारकों को प्रति वर्ग 322 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से और 'गैर–पुश्तैनी' भू–धारकों को, जिनमें वर्तमान अपीलार्थीगण भी शामिल हैं, कम राशि 280 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजे का भुगतान किया गया।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

14. भू–धारकों ने बढ़ी राशि पर मुआवजे के लिए विरोध जारी रखा इसके परिणामस्वरूप बोनस/अनुग्रह राशि के रूप में मुआवजे की बढ़ी हुई दर की मांग पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने 8 गांवों में स्थित भूमि के पैतृक कृषकों को अनुग्रह राशि के रूप में 310 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुग्रह राशि के भुगतान की सिफारिश करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

15. समिति की दिनांक 25.10.2008 की रिपोर्ट संदर्भ के लिए यहां पुनः प्रस्तुत की जा रही हैः–

संलग्नक पी–4

25–10–2008

उत्तर प्रदेश सरकार के 4.09.2008 दिनांकित आदेश संख्या 4/4/1/2008–सीएक्स (1) लखनऊ के अनुसार घोड़ी बछेड़ा और अन्य गांवों की भूमि के संबंध में बोनस /अनुग्रह/मुआवजा वृद्धि की मांग पर विचार करने के संबंध में गठित समिति की सिफारिश।

उत्तर प्रदेश सरकार के 4.09.2008 दिनांकित आदेश संख्या 4/4/1/2008–सीएक्स (1) लखनऊ के अनुसार घोड़ी बछेड़ा और अन्य गांवों की भूमि के संबंध में इस प्रकार की मांगों और बढ़ी हुई दर पर बोनस/अनुग्रह/मुआवजा वृद्धि पर विचार करने के संबंध में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया हैः–

1. श्री ठाकुर जयबीर सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात अध्यक्ष

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा–सदस्य

3. जिला मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर –सदस्य समन्वयक, कृषि के प्रतिनिधियों, संगठनों/कृषकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के साक्ष्य में उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच की गई और उनका अवलोकन किया।

ग्राम समिति/उनके प्रतिनिधियों की समिति की बैठक आयोजित करते समय उपरोक्त मामले के संबंध में भी विचार किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

1 पृष्ठभूमि–यह निर्णय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 28.10.1997 की 26 वीं बैठक में लिया गया था कि मुआवजे की दर का आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए समझौते के आधार पर किया जाना चाहिए और वे किसान, जो समझौते/सहमति को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं, वे अनुबंध/सहमति विनियमन के तहत मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं और वे किसान, जो निर्धारित दर से सहमत नहीं हैं, उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 की धारा 23 के प्रावधानों के तहत विद्वत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित दर पर मुआवजा देय होगा। उपर्युक्त अनुक्रम के आधार पर वर्ष 1997–98 के लिए मुआवजे की दर 110 रुपये प्रति वर्ग की दर से निर्धारित की गई थी और भविष्य में इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 902/778 3–0 7–1 43 एन/04 द्वारा आयुक्त, मेरठ डिवीजन, मेरठ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने 800–850 रूपये प्रति वर्ग

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मीटर की दर से मुआवजा देने की सिफारिश की थी। इस क्रम में, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की 5 जनवरी, 2008 को हुई बैठक में 850 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर 1.04.2007 से लागू करने का निर्णय करने का निर्णय लिया गया।

यहां तक कि इस प्रकार के ज्ञापन के विवरण सरकार के दिनांक 31.12.2007 के आदेश द्वारा मेरठ डिवीजन के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 4.01.2008 की सिफारिश में भी दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उस समय भी उपरोक्त गांवों के ग्रामीण मुआवजे में वृद्धि की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के कुछ ज्ञापन प्राधिकरण के अनुसार उनके पत्र सं . 931/भू–अभिलेख/एल. पी./2008 दिनांकित 7.03.2008/903/भू–अभिलेख/एल. पी./2008 दिनांकित 10.03.2008, भूमि अभिलेख /1 ए/2008 दिनांकित 13.03.20081038/भू–अभिलेख/एल. ए./2008 दिनांकित 29.04.2008,1055/भू–अभिलेख/एल.ए/2008 दिनांकित 5.05.2008/1069/भू–अभिलेख/ LA/2008 दिनांकित 9.05.2008, 1113, 1115/भू–अभिलेख/L A/2008 दिनांकित 06.06.08 संलग्न करते हुए उचित दिशानिर्देशों/निर्देशों के लिए सरकार को अग्रेषित किए गए थे। इसके बाद 10 मई, 2008 के आदेश द्वारा गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की एक समिति गठित की गई और 21 जुलाई, 2008 की अपनी रिपोर्ट में अन्य गांवों सहित गांव घोड़ी बछेड़ा के वित्त वर्ष 2006–2007 में अधिग्रहीत भूमि के लिए किसानों को 175–

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

200 वर्ग मीटर की अतिरिक्त राशि देने पर विचार करने की सिफारिश की गई। प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 11.08.2008 की 72 वीं बैठक में समिति की सिफारिशों का अवलोकन करते समय ऐसे निर्देश दिए गए थे कि इसके वित्तीय स्रोत और इसके प्रबंधन की स्थिति की गणना करते समय वाद को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 4/4/1/2008–सी. एक्स. (1) लखनऊ दिनांक 4.09.2008 के द्वारा सरकार के पास भेजा जाए। उपरोक्त समिति का गठन ग्राम घोड़ी बछेड़ा के संबंध में बोनस/अनुग्रह/मुआवजे की वृद्धि आदि की मांगों पर विचार करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए किया गया था।

2. समिति की बैठकें–समिति की पहली बैठक 15.09.2008 को उत्तर प्रदेश सदन, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें समिति के अध्यक्ष के अलावा निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया है –

1. श्री पंकज अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा

2. श्री श्रवण कुमार शर्मा, जिला अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर

उपरोक्त के अलावा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारी उपर्युक्त बैठक में उपस्थित थेः

1. श्री शैलेन्द्र चौधरी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा

2. श्री शिशिर, विशेष कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा

बैठक में समिति के गठन, कार्य क्षेत्र, संचालन और प्रक्रिया के संबंध में विचार और परामर्श किया गया था, यह निर्णय लिया गया था कि अधिग्रहण

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

से प्रभावित किसानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित करते समय, उनके विचारों और मांगों को उनसे प्रतिवेदन प्राप्त करके जाना जा सकता है और इस संबंध में उनसे चर्चा की जा सकती है।

उपरोक्त क्रम में, समिति की बैठक क्रमशः 22.09.2008 और 11.10.2008 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें गांव के किसानों और उनके प्रतिनिधियों से ज्ञापन प्राप्त करते हुए, इस मामले पर चर्चा की गई और विस्तार से परामर्श किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित लोगों ने भाग लिया –

1.रमेश सिंह रावल

2.योगेंद्र सिंह रावल

3.सूबेदार रामचंद्र

4. ओमप्रकाश,

5. माही सिंह भाटी,

6. लोकेश भाटी,

7. महा सिंह भाटी,

8. प्रताप सिंह भाटी,

9. प्रताप सिंह सरपंच

10. प्रेम मुखिया

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

11. इंदर सिंह (अधिवक्ता)

12. अजीत सिंह नगर

13. श्री कमल भाटी

14. मांगे राम भारती

15. भूले सिंह,

16. राकेश

17. ब्रह्म सिंह,

18. आत्मेंदर

19. महाराज सिंह

20. मेहंदी हसन,

21. उमेश

22. विक्रम सिंह

23. सतबीर प्रधान

24. नरेश उपाध्याय

25. अजीत मुखिया

26. रामपाल हवलदार

27. नेमवीर, प्रधान, गरबा आदि।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3. कृषकों द्वारा प्रस्तुत मांग और ज्ञापन का आधार–समिति को अपनी बैठक में गांवों से मांगों के संबंध में विस्तृत ज्ञापन और विवरणों के समर्थन में रिकॉर्ड प्राप्त हुए। गांव घोड़ी बछेड़ा की 2006–2007 में अधिग्रहीत भूमि के कृषक और अन्य गांवों ने सामूहिक रूप से समिति के समक्ष आवश्यक रिकॉर्ड सहित विस्तृत और तथ्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं और यहां तक कि अपनी मांग के समर्थन में किसानों द्वारा मौखिक रूप से आधार भी उठाए गए थे, जिनमें मुख्य आधार शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:–

1. प्रश्नगत गांवों के किसानों ने 2.04.2006 को मूल्य संवर्धन ज्ञापन दिया है, जिसमें ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने 10 दिनों के बाद 5.01.2007 को लिखित आश्वासन पत्र दिया कि ट्रोनिका सिटी आदि की दरों के आधार पर, फरवरी 2007 के अंतिम सप्ताह तक मुआवजा बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बयानों के समर्थन में लोकसभा के सम्मानित सदस्य अशोक प्रधान और श्री नवाब सिंह नागर को संबोधित उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा के दिनांक 5.01.2007 के पत्र की प्रति संलग्न है।

2. उन्होंने मेरठ डिवीजन के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में मुआवजा बढ़ाने के संबंध में अपनी मांग का भी खुलासा किया था, लेकिन वित्त वर्ष 2006–2007 में अधिग्रहित भूमि के किसानों को कोई लाभ नहीं दिया गया।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3. ग्रामीणों ने ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दिनांक 10.06.2008 के आदेश द्वारा विद्वान जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विस्तृत आधार का खुलासा करते हुए अपनी मांग प्रस्तुत की है, लेकिन फिर भी, समिति ने, इस पर गहन विचार किए बिना, प्रति वर्ग 175–200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वृद्धि करने की सिफारिश की है। जो व्यवहारिक नहीं है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और यह वृद्धि अपर्याप्त है।

4. विश्लेषण–गोंडा बछेड़ा गांव की 580.1730 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6/17 के तहत 5.01.2006 को अधिसूचना जारी की गई थी और अतिरिक्त कलेक्टर (एलए) द्वारा 14.05.2006 को अधिग्रहीत भूमि का कब्जा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। 28.06.2006 को मेरठ के संभागीय आयुक्त द्वारा 385 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे का मूल्य मंजूर करने के बाद मुआवजे की राशि पैतृक कृषकों को 334.78 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वितरित की गई। वित्त वर्ष 2006–2007 में गोंडा, बछेड़ा और अन्य गांवों सहित ग्रेटर नोएडा के सुनियोजित विकास के लिए निम्नलिखित गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया और उपरोक्त भूमि का कब्जा 01.04.2006 के बाद लिया गया था और उपरोक्त भूमि के किसान मुआवजे में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

क्रम सं.	गाँव का नाम	अधिग्रहीत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्राधिकरण को कब्जा सौंपने की तिथि
1.	सूरजपुर	69330	01.06.2006

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2	अजयपुर	37308	01.06.2006
3.	गरबरा	595830	01.06.2006
4.	गोंदी बसेरा	580.1730	14.06.2006
5.	शनि	299.5660	30.10.2006
6.	डाढ़ा	215.6010	27.10.2006
7.	मथुरापुर	122.2699	27.10.2006
8.	डाबरा	111.8868	31.01.2007

इन गाँवों के कृषि संगठनों, कषकों ने सरकार के 31 दिसंबर, 2007 के आदेश के तहत मेरठ के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति के गठन के समय और उससे पहले भी मुआवजे में वृद्धि की मांग के लिए कई ज्ञापन दिए हैं।

तत्कालीन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा हस्ताक्षरित 5 जनवरी, 2007 के सहमति पत्र की प्रति और इस मामले में ग्रामीणों द्वारा सांसद श्री अशोक प्रधान और तत्कालीन एमएलए श्री नवाब सिंह नागर के साथ 5 जनवरी, 2007 को प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार और परामर्श भी कृषकों को प्रदान किया गया। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे को बढ़ाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि और आवास विकास बोर्ड के ट्रोनिका सिटी की भूमि के मुआवजे की दरों को के आधार

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक मुआवजे को बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यह स्पष्ट है कि कृषक फरवरी 2007 में भी मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिस पर प्राधिकरण के सक्षम स्तर पर आश्वासन दिया गया था।

विद्वान जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 31 जुलाई, 2008 को अपनी रिपोर्ट में कृषकों द्वारा उठाए गए उपरोक्त समग्र बिंदुओं पर विस्तार से तथ्यों का खुलासा किया है। समिति ने गौतम बुद्ध नगर के विद्वान जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 21.07.2008 की सिफारिश का अध्ययन किया है। इसकी दिनांक 21.07.2008 की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कानून के अनुसार मुआवजे की दर में कोई बदलाव करना संभव नहीं है, क्योंकि संबंधित किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद समझौते के नियम के तहत मुआवजा प्राप्त करने के बाद मुआवजा प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन समिति ने 21.07.2008 दिनांकित अपनी रिपोर्ट में अनुग्रह राशि के मद में विस्तृत परिस्थितियों में कुछ राशि देने की सिफारिश की है।

5. सिफारिश – विशेष कार्यकारी अधिकारी (एलए), ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण (मुआवजे का निर्धारण और करार द्वारा पंचाट की घोषणा) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के तहत, 29.09.2001 के सरकारी आदेश के अनुसार, अन्य गांवों सहित, घोड़ी बछेड़ा गांव के वित्त वर्ष 2006–2007 में अधिग्रहीत भूमि के अधिकांश कृषकों को मुआवजा प्राप्त हुआ है। इसलिए इस नियम के तहत घोषित किए जाने वाले पंचाट/मुआवजा दरों में कोई

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वृद्धि/परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। तदनुसार, यह केवल इन गांवों के किसानों को राहत के रूप में दी जाने वाली अनुग्रह राशि के रूप में अतिरिक्त राशि देने के लिए विनियोजित किया जाएगा। विद्वान जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 21.07.2008 की रिपोर्ट में 175–200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त राशि देने की सिफारिश की गई है। लेकिन, समिति की राय में, उपरोक्त राशि में आंशिक वृद्धि करने का औचित्य है।

इसलिए, उपर्युक्त विस्तृत तथ्यात्मक विश्लेषण, कृषकों के साथ परामर्श, विचार–विमर्श और प्राधिकरण के स्तर पर दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, इस समिति ने यह सिफारिश की है कि वह पैरा संख्या 4 में वर्णित 8 गांवों की प्रश्नगत भूमि के पैतृक किसानों को अनुग्रह राशि के रूप में 310 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि का भुगतान करे, जो वित्त वर्ष 2006–2007 में प्राप्त हुई थी और इसके बाद समिति को आवश्यक कार्यवाही के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष सिफारिश प्रस्तुत करने की सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर/–

श्रवण कुमार शर्मा,

जिला मजिस्ट्रेट

गौतम बुद्ध नगर

हस्ताक्षर/–

(पंकज अग्रवाल)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा

हस्ताक्षर/–

(ठाकुर जयवीर सिंह)

माननीय मंत्री ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा कृषि विदेश व्यापार एवं

कृषि निर्यात, उत्तर प्रदेश

16. उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर, ग्रेटर नोएडा की 74 वीं बोर्ड बैठक में केवल 8 गांवों के 'पुश्तैनी' किसानों को 310 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त मुआवजा/अनुग्रह राशि के भुगतान का निर्णय लिया गया था।

17. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की दिनांक 03.11.2008 की 74 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त को यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

संलग्नक पी–5

क्रम सं. 1–प्राधिकरण की 74 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की मंजूरी के लिए–

प्राधिकरण की 74 वीं बोर्ड बैठक 03.11.2008 को आयोजित की गई थी।

अर्द्धसरकारी पत्र संख्या यूएमसी /74 वीं बोर्ड बैठक /2008/265

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दिनांकित 3.11.2008 के माध्यम से इस बैठक का कार्यवृत्त (संलग्नक) प्राधिकरण के सदस्यों को भेजा गया है। उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त को प्राधिकरण बोर्ड की मंजूरी के लिए यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्रम सं. 9– वित्त वर्ष 2006–2007 में ग्रेटर नोएडा द्वारा अधिग्रहीत घोड़ी बछेड़ा और अन्य गाँवों की भूमि के कृषकों को बोनस /अनुग्रह/मुआवजा वृद्धि की मांग के संबंध में निम्नलिखित गावों की भूमि के कृषकों ने , जिनकी भूमि ग्रेटर नोएडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–2007 में अधिग्रहीत की गई थी, मुआवजा वृद्धि की मांग करते हुए बहुत सारे ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं –

क्रम सं.	गाँव का नाम	अधिग्रहीत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्राधिकरण को कब्जा सौंपने की तिथि
1.	सूरजपुर	69330	01.06.2006
2	अजयपुर	37308	01.06.2006
3.	गरबरा	595830	01.06.2006
4.	गोंदी बसेरा	580.1730	14.06.2006
5.	शनि	299.5660	30.10.2006
6.	डाढ़ा	215.6010	27.10.2006
7.	मथुरापुर	122.2699	27.10.2006
8.	डाबरा	111.8868	31.01.2007

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जो समय–समय पर उचित निर्देशों और मार्ग दर्शन के लिए सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। अध्यक्ष ग्रेटर नोएडा के 10.06.2008 दिनांकित आदेश द्वारा कृषकों की मुआवजे की माँग की जाँच करने एवं प्रबंधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की समिति गठित की गई थी, और उपरोक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 21.07.2008 में उन किसानों को 175–200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त राशि देने पर विचार करने की सिफारिश की है जिनकी भूमि का अधिग्रहण अन्य गांवों सहित गांव घोड़ी बछेड़ा में वित्तीय वर्ष 2006,2007 में की गई थी। समिति की सिफारिशों का उपयोग करते हुए 11.08.2008 को आयोजित बोर्ड की 72 वीं बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि वित्तीय स्रोतों और इसके प्रबंधन की स्थिति की गणना करते समय, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 4/4/1/2008–सीएक्स (1) लखनऊ दिनांक 4.09.2008 के अनुसार, मामला सरकार को संदर्भित किया जा सकता है। समिति का गठन ग्राम घोड़ी बछेड़ा की भूमि के संबंध में बोनस/अनुग्रह/मुआवजा वृद्धि के संबंध में किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए किया गया था।

1. श्री ठाकुर जयवीर सिंह माननीय मंत्री, ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात–अध्यक्ष

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा सदस्य

3. जिला मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर–सदस्य समन्वयक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

समिति ने 25 अक्तूबर, 2008 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि उस भूमि के पैतृक कृषकों को 310 वर्ग मीटर की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाए, जिसका ग्राम घोड़ी बछेड़ा के संबंध में कब्जा ग्रेटर नोएडा द्वारा 1 अप्रैल, 2006 (वित्तीय वर्ष 2006–2007) को ग्रेटर नोएडा द्वारा प्राप्त किया गया था और समिति की सिफारिशों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई है। समिति की दिनांक 25.10.2008 की रिपोर्ट संलग्न है और यह कार्यसूची का एक हिस्सा है।

कुल मिलाकर मुआवजे की राशि 5522134695.00 रुपये (पांच अरब बावन करोड़ इक्कीस लाख चौंतीस हजार छः सौ पंचानवे रुपये) की गणना 385 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से की गई। जो वित्तीय वर्ष 2006–2007 में अधिग्रहीत उपरोक्त गांवों की 1434.3207 भूमि के लिए उस समय लगाई गई थी। जिसे पहले ही विद्वान अपर जिला मजिस्ट्रेट (एल. ए.) को भेजा जा चुका है और भूमि अधिग्रहण अधिकारी से प्राप्त 23.06.2008 दिनांकित पत्र संख्या 527/8–वीके बीएचएल के अनुसार, 5,27,56,68,568 रुपये (पांच अरब सत्ताईस करोड़, छप्पन लाख अड़सठ हजार पांच सौ अड़सठ रुपये) जो 95.54 प्रतिशत है, पहले ही संबंधित किसानों के बीच वितरित किया जा चुका है। अपर कलेक्टर (एल. ए.) के पत्र संख्या 833/8–ए. डी. ओ. (एल. ए.)/08 दिनांकित 21.10.2008 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त गांवों की प्रश्नगत अधिग्रहीत भूमि में से 1392.9586 हेक्टेयर क्षेत्र पैतृक भूमि है। इसलिए, पैतृक कृषकों को बढ़ी हुई दरों पर भुगतान करने के मामले में, अर्थात्,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

समिति द्वारा अनुशंसित 310 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने पर, उनका वित्तीय भार 4318171660 रुपये (चार अरब इक्कीस करोड़ इक्यासी लाख इकहत्तर हजार छह सौ साठ रुपये) होगा।

समिति की रिपोर्ट प्राधिकरण बोर्ड के विचार के लिए प्रस्तुत की जाती है।"

18. दिनांक 15.01.2009 के आदेश के माध्यम से, राज्य सरकार ने 'पुश्तैनी' भूमि धारकों को बढ़ी हुई मुआवजा/अनुग्रह/बोनस के भुगतान के लिए अपनी मंजूरी दी।

19. सुविधा के लिए, दोनों श्रेणियों के भू–स्वामियों को दिए गए मुआवजे का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

तारीखें	**पुश्तैनी भूस्वामियों के लिए मुआवजे की दर**	**गैर–पुश्तैनी भूस्वामियों के लिए मुआवजे की दर**	**मुआवजे**
28.10.1997 (ग्रे. नोएडा) मुआवजे के लिए 2 श्रेणियां बनाना और जुलाई–सितंबर, 2006 (भू–स्वामियों और ग्रे. नोएडा के बीच समझौता)	रू. 322/– प्रति वर्ग गज, जैसा कि पक्षों के बीच सहमति हुई है।	रू. 280 रुपये प्रति वर्ग गज, जैसा कि पक्षों के बीच सहमति हुई है	रू.42/– प्रति वर्ग गज

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

15.01.2009 (भुगतान के लिए सचिव का पत्र)	रू. 259.27 प्रति वर्ग गज का अतिरिक्त भुगतान। पुश्तैनी किसानों के लिए अनुग्रह भुगतान के रूप में।	गैर–पुश्तैनी भूमि मालिकों के लिए कोई अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं	रू. 301.27 प्रति वर्ग गज
21.10.2011 (गजराज उच्च न्यायालय का निर्णय) और 02.11.2011 (ग्रे. नोएडा ने पुश्तैनी भूमि मालिकों को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि को अनुग्रह राशि माना।	रू. 957.36 प्रति वर्ग गज	रू. 461.16 प्रति वर्ग गज	रु. 496.20 प्रति वर्ग गज

अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्क

20. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा किः–

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

i. भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण में पुश्तैनी और गैर–पुश्तैनी भूमि मालिकों के बीच विभेद की अनुमति नहीं देती है।

i. इस न्यायालय द्वारा **नागपुर सुधार ट्रस्ट वाद (पूर्वोक्त)** में अधिकथित विधि के आलोक में, भूमि के क्रय की तारीख और ग्रे. नोएडा की स्थापना की तारीख के आधार पर भू–स्वामियों के उपरोक्त दो वर्गों के बीच कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सभी भू स्वामी एक ही पायदान पर होने चाहिए।

ii. भूमि मालिकों के दोनों वर्गों की भूमि एक ही प्रक्रिया के तहत , एक ही सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई है और उसका बाजार मूल्य एक ही है, और इसलिए, किसी भी पक्ष को प्रदान की गई मुआवजे की दर में कोई भी अंतर अत्यधिक भेदभावपूर्ण है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

iii. इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि केवल समझौते पर हस्ताक्षर करके, इसमें अपीलार्थीगण के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने मुआवजे की अपील करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, विशेष रूप से इस तथ्य के बाद कि पुश्तैनी भूमि मालिकों को दी गई अनुग्रह राशि का भुगतान समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद किया गया था।

iv. यह भी तर्क दिया गया है कि मुआवजे के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम में मौजूद नहीं है, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23 के भीतर भुगतान के कारणों में से केवल एक के रूप में इसकी व्याख्या की जा

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सकती है, और ऐसे परिदृश्य में, सभी पक्षों को सार्वभौमिक रूप से भुगतान किया जाना चाहिए।

<u>प्रतिवादीगण द्वारा दिए गए तर्क</u>

21. प्रतिवादीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता ने कहा किः

i. उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण नियमावली भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत बनाई गई हैं। ये नियम एक समझौते के माध्यम से अधिग्रहणकर्ता और अधिग्रहीती के बीच मुआवजे की विधि निर्धारित करते हैं। अपीलार्थीगण ने, एक समझौते के माध्यम से, स्वेच्छा से उन्हें दिए जा रहे मुआवजे को स्वीकार किया। इसके अलावा, मुआवजा स्वीकार करते समय, इसमें अपीलार्थीगण ने एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि मुआवजा पर सहमति है और पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। केवल तीन साल बाद ही अपीलार्थीगण ने समझौते में प्रवेश करने और स्पष्ट रूप से मुआवजे की राशि पर सहमत होने के बाद, मुआवजे को चुनौती देने के लिए एक रिट दायर करने का फैसला किया।

ii.अपीलार्थीगण ने विधि के अनुसार एक समझौता किया और उन्हें दिए गए मुआवजे को स्वीकार किया था। ऐसे परिदृश्य में, किसी अन्य पक्ष के लिए मुआवजे में बाद में वृद्धि के आधार पर समझौते को फिर से खोलने के लिए अपीलार्थीगण के पास कोई कानूनी उपाय नहीं है। अदालत का दरवाजा खटखटाकर समझौते को फिर से खोलने का कोई उपाय नहीं है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

iii. भूमि मालिकों के दो वर्गों के बीच अंतर उनके निवास के आधार पर किया गया है। दोनों श्रेणियों को दिया गया मूल मुआवजा समान हैं और पुनर्वास बोनस के रूप में पुश्तैनी भूमि मालिकों को केवल अतिरिक्त 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दी गयी है, जो गैर–पुश्तैनी भूमि मालिकों के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि वे संबंधित भूमि में नहीं रहते हैं और वे उस भूमि के पुत्र नहीं हैं।

iv. जहां तक पुश्तैनी भू–स्वामियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि का संबंध है, यह केवल उस भूमि के पुत्रों और भूमि में केवल निवेशकों के बीच वर्गीकरण के आधार पर एक अतिरिक्त मुआवजा है। यह भुगतान उचित वर्गीकरण पर आधारित है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

मुद्दे

22. उच्च न्यायालय में पूर्वोक्त मुकदमों के पश्चात्, इन अपीलों में न्यायनिर्णयन के लिए निम्नलिखित तीन प्रश्न उठते हैंः–

i. क्या अपीलार्थीगण ने समझौते पर हस्ताक्षर करके संशोधित मुआवजे की मांग करने के अपने अधिकार का त्याग कर दिया है?

ii. क्या पुश्तैनी भू–स्वामियों और गैर–पुश्तैनी भू–स्वामियों को भिन्न दरों पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम और उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण नियमावली, 1997 के तहत किया गया वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने कारण रद्द किए जाने योग्य है?

iii. क्या उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा पुश्तैनी भू–स्वामियों और गैर–पुश्तैनी भू–स्वामियों के बीच किया गया वर्गीकरण नागपुर सुधार न्यास एवं अन्य

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बनाम विठ्ठल राव एवं अन्य (1973) 1 एस. सी. सी. 500 के वाद में इस माननीय न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का उल्लंघन है?

23. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत,ग्रेटर नोएडा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार और उत्तर प्रदेश/ए.ए.जी की ओर से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार रायजादा को विस्तार से सुना।

24. सबसे पहले, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान अपीलों में, हम केवल ग्रे. नोएडा की कार्रवाई की वैधता से संबंधित हैं, जो भूस्वामियों के उसी वर्ग में से जिनकी भूमि उसी उद्देश्य के लिए उसी अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित की गई थी, 'पुश्तैनी' भूस्वामियों का एक कृत्रिम वर्ग बनाकर भूस्वामियों को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है। इस अधिग्रहण की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस न्यायालय ने अंतिम रूप से इसका निपटारा कर दिया है।

<u>विश्लेषण</u>

<u>क्या अपीलार्थी भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत समझौते के अनुसार मुआवजे से बंधे हुए हैं और उन्होंने बढ़े हुए मुआवजे की मांग करने के अपने अधिकार को खो दिया है?</u>

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

25. ग्रेटर नोएडा की ओर से यह जोर देकर कहा गया है कि वर्तमान अपीलार्थीगण ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत उपलब्ध उपचार का लाभ नहीं लिया और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता को दरकिनार कर दिया। 1894 के अधिनियम की धारा 18 इस प्रकार हैः– –

> **न्यायालय को संदर्भ** (1) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसने पंचाट स्वीकार नहीं किया है, जिलाधीश को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि मामला न्यायालय के अवधारण के लिए कलक्टर द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, चाहे उसकी आपत्ति भूमि के मापन, प्रतिकर की राशि, वे व्यक्ति जिन्हें वह देय है, या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के विभाजन से संबंधित हो।
>
> (2) आवेदन में उन आधारों का उल्लेख किया जाएगा जिनके आधार पर पंचाट पर आपत्ति उठाई गई हैः परन्तु ऐसा प्रत्येक आवेदन किया जाएगा,
>
> (क) यदि उसे बनाने वाला व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि उस समय जिलाधीश के समक्ष उपस्थित था जब उसने अपना अधिनिर्णय दिया था, तो जिलाधीश के अधिनिर्णय की तारीख से छह सप्ताह के भीतर
>
> (ख) अन्य मामलों में, धारा 12, उपधारा (2) के अधीन जिलाधीश से सूचना प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर या जिलाधीश के पंचाट की तारीख से छह मास के भीतर, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो।"

26. ध्यान देने योग्य पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा दायर रिट याचिका में चुनौती की प्रकृति अनुच्छेद 14 के उल्लंघन

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पर आधारित थी, जो संविधान में प्रतिष्ठापित एक मौलिक अधिकार है। किसी अधिनियम के तहत किसी वैकल्पिक उपचार की मौजूदगी के बावजूद ऐसी चुनौती संवैधानिक न्यायालयों की अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगा सकती है।

27. प्रतिवादी प्राधिकरण ने तर्क दिया कि चूंकि करार के लिए सहमति दी गई थी , इसलिए न्यायालय में कोई चुनौती टिक नहीं सकती थी. वाद के तथ्यों के संदर्भ में इस तर्क को केवल अस्वीकार करने के लिए उठाया गया है। न्यायनिर्णयन में शामिल मुद्दा अपीलार्थीगण द्वारा किए गए समझौते के संबंध में नहीं है। इसी तरह के समझौते ऐसे भू–धारकों द्वारा भी प्राधिकरण के साथ किए गए थे, जिन्हें भूमि के निवास/कब्जे की अवधि के आधार पर विभेद करके समझौते के बाद अतिरिक्त मुआवजा दिया गया है, जिसे 'पुश्तैनी' और 'गैर–पुश्तैनी' भू–धारकों का एक कृत्रिम वर्गीकरण बनाकर अधिग्रहीत किया गया था।

28. इसके अतिरिक्त, चूंकि करार के समय 'पुश्तैनी' और 'गैर–पुश्तैनी' का कृत्रिम वर्गीकरण करके अतिरिक्त प्रतिकर का मुद्दा अस्तित्व में नहीं था, इसलिए इसे चुनौती देने का कोई अवसर नहीं था।

29. इसके अलावा, विशेष रूप से अनुग्रह राशि के अनुदान के संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि एक अलग अधिसूचना के माध्यम से पुश्तैनी भूस्वामियों को दिए गए कथित भुगतान का मूल्यांकन किया गया था और दोनों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद दिया गया था। उन परिस्थितियों के तहत अपीलार्थी अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर अनुग्रह भुगतान के संबंध में समझौते को चुनौती नहीं दे सकते थे, जबकि समझौते के समय ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। किसी भी व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह भविष्य में अपने अधिकारों के उल्लंघन की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भविष्यवाणी करे और पहले से ही अपील दायर कर दे। इस न्यायालय को फ्रांसिस बेकन के शब्दों की याद आती है, जिन्होंने 17 वीं शताब्दी में विधिक निश्चितता और न्याय के बीच संबंध के बारे में लिखा थाः

> " क्योंकि यदि बाजा अनिश्चित ध्वनि देगा, तो कौन लड़ाई के लिये अपने आप को तैयार करेगा? तो अगर कानून एक अनिश्चित आवाज देगा, तो इसका पालन करने के लिए कौन तैयार होगा? अतः उसे आघात करने से पहले चेतावनी देनी चाहिए ... लहू बहाने का अधिकार न हो; और न ही सिवाय किसी ज्ञात और निश्चित कानून के अनुसार, किसी मामले में किसी भी अदालत में सजा सुनाई जाए और न ही किसी व्यक्ति को अपने जीवन से वंचित किया जाना चाहिए, जिसे पहले यह नहीं पता था कि वह इसे जोखिम में डाल रहा है।' (कोकिलेट, फ्रांसिस बेकन पृष्ठ 244 और 248 में उद्धृत, एफॉरिज्म 8 और एफॉरिज्म 39 से? ए ट्रीटाइज आन युनिवर्सल जस्टिस)।"

30. उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थीगण ने, समझौते पर हस्ताक्षर करने के कारण, संशोधित मुआवजा मांगने के अपने अधिकार को खो नहीं दिया है, क्योंकि, वाद हेतुक उनके द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के काफी बाद उत्पन्न हुआ। मुद्दा संख्या 1 का उत्तर तदनुसार नकारात्मक और अपीलार्थीगण के पक्ष में दिया जाता है।

<u>क्या विभिन्न दरों पर मुआवजे के भुगतान के लिए पुश्तैनी भूस्वामियों और गैर–पुश्तैनी भूस्वामियों के बीच कार्यपालिका द्वारा किए गए वर्गीकरण को संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में रद्द किया जा सकता है?</u>

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

31. उच्च न्यायालय ने 'पुश्तैनी' और 'गैर–पुश्तैनी' भू–स्वामियों के बीच वर्गीकरण को बरकरार रखते हुए कहा कि समान रूप से स्थित पक्षकारों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और **श्रीमती माधुरी श्रीवास्तवा (पूर्वोक्त)** के वाद में न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में सही विधि प्रतिपादित की गई है। इस प्रकार, पूर्ण पीठ ने वर्गीकरण को बरकरार रखा और उक्त वर्गीकरण को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। आक्षेपित निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः–

> "वाद के गुण–दोष पर आने से पहले, यह कहना उचित होगा कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए राज्य की संप्रभु शक्ति "जन साधारण की सुरक्षा सर्वोच्च विधि है" पर आधारित है जिसका अर्थ है कि जनता का कल्याण सर्वोपरि कानून है और सिद्धांत "सार्वजनिक आवश्यकता व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है" का अर्थ है कि सार्वजनिक आवश्यकता निजी से अधिक है। "सर्वोपरि आधिपत्य" (सबई भूमि गोविंद की) का अर्थ है "राज्य भूमि का सर्वोच्च मालिक है।" भारत के संविधान में इन बातों को शामिल किया गया है। निजी संपत्ति का अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए कानून बनाकर किया जा सकता है। "संघ के प्रयोजनों के लिए संपत्ति का अर्जन और अध्यपेक्षा" सूची –। की प्रविष्टि संख्या 33 के रूप में उल्लिखित किया गया था और "संघ के प्रयोजनों को छोड़कर संपत्ति का अर्जन और अध्यपेक्षा " संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–।। की प्रविष्टि संख्या 36 के रूप में उल्लिखित किया गया था। संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 26 द्वारा सूची–। की प्रविष्टि संख्या 33 और सूची–।। की प्रविष्टि संख्या 36 को हटा दिया

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गया था और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III की प्रविष्टि संख्या 42 को संपत्ति के अधिग्रहण और अध्यपेक्षा के रूप में संशोधित किया गया था। निजी पक्षों का अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत कार्यकारी शक्ति का उपयोग करके किया जा सकता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें विधायी या कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती हैं।

वर्गीकरण और उसकी तर्कसंगतता से संबंधित मुद्दे पर विचार के दौरान, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शासन एक सरल चीज नहीं है। यह उन समस्याओं का सामना करती है और उन पर विचार करती है जो विभिन्न प्रकार के संबंधों में व्यक्तियों से आती हैं। वर्गीकरण उन संबंधों की मान्यता है, और इसे विवेक और निर्णय का एक व्यापक अक्षांश बनाया जाना चाहिए।

उपरोक्त संवैधानिक उपबंधों और अधिनियम, 1894 के आशय, विशेष रूप से अधिनियम, 1894 की धारा 23 और 24 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, हमारी यह राय है कि पुश्तैनी और गैर–पुश्तैनी किसानों के बीच किया गया विभेद बुद्धिमत्तापूर्ण अंतर के साथ तर्कसंगत है और किसी भी तरह से समान रूप से स्थित व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव पैदा नहीं करता है। **श्रीमती माधुरी श्रीवास्तवा (पूर्वोक्त)** के वाद में अधिकथित विधि में इन सभी प्रावधानों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी किसान दो अलग–अलग वर्ग हैं और विभिन्न दरों पर अतिरिक्त मुआवजा देने का प्रस्ताव बिल्कुल भी भेदभावपूर्ण नहीं है।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

32. आक्षेपित वर्गीकरण की वैधता का आकलन करने के लिए, हमें इसे अनुच्छेद 14 के माध्यम से रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या यह अपने नामकरण पर खरा उतरता है। यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत, कि अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से इनकार नहीं कर सकता है।

उचित वर्गीकरण परीक्षण

33. अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरने के लिए किसी भी वर्गीकरण को समझ में आने वाले अंतर पर आधारित होना चाहिए और कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इसका तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य भी विधिसम्मत होना चाहिए, और यदि कानून का उद्देश्य ही विभेदकारी पाया जाता है, तो इस तरह के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। यह अनेक निर्णयों में धारित किया गया है।

34. वर्गीकरण युक्तियुक्तता परीक्षण को पहली बार भारतीय न्यायशास्त्र में **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार**[7] के वाद में आरंभ किया गया था। उसमें उठाया गया मुद्दा बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम के विरुद्ध था जिसे कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण के प्रयोजन के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को राज्य सरकार को मनमानी शक्तियां देने वाले अधिनियम के आधार पर अनुच्छेद 14 की कसौटी पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने राज्य की अपील को खारिज करते हुए धारित किया कि –

---

7 (1952) AIR 75

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"यह सुस्थापित माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित सिद्धांत यह नहीं है कि विधि के समान नियम भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों पर लागू होने चाहिए या यह कि परिस्थितियों के अंतर के बावजूद उन्हें समान उपचार उपलब्ध कराए जाने चाहिए [चरनजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ, 1950 एससीआर 869:1950 एस. सी. 833)। इसका अर्थ केवल यह है कि सभी समान स्थित व्यक्तियों के साथ प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों (ओल्ड डियरबॉर्न डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी बनाम सीग्राम डिस्टिलर्स कॉर्प., 81 एल एड 109:299 यू एस 183 (1936):1936 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 145) दोनों मामलों में समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। समान स्थिति में सभी पर समान कानूनों को लागू करना होगा और एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए यदि विधान की विषयवस्तु के संबंध में उनकी स्थिति काफी हद तक समान है। इससे वर्गीकरण का सवाल उठता है। चूंकि समान संरक्षण नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, यदि कानून एक निश्चित वर्ग के सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करता है, तो विधानमंडल को व्यक्तियों को वर्गीकृत करने और उन लोगों को कानून के एक ही नियम के तहत रखने का निस्संदेह अधिकार है जिनकी स्थितियां काफी हद तक समान हैं, जबकि भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न नियम लागू हो सकते हैं। यह कहा जाता है कि समान संरक्षण खंड के तहत पूरी समस्या वर्गीकरण या रेखाओं को खींचने की है। [डाउलिंग : संवैधानिक विधि पर मामले, चौथा संस्करण 1139)] वर्गीकरण करने में विधायिका से निश्चित रूप से "अमूर्त समरूपता" प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह समाज की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार वर्गों को बना सकता है और अलग कर सकता है, जैसा अनुभव से लगे। यह "बुराई की डिग्री" को भी पहचान सकता है [स्किनर बनाम ओकलाहोमा, 86 एल एड 1655: 316 यू. एस. 535, पृ.540 (1942):1942 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 125)] लेकिन वर्गीकरण कभी भी मनमाना, कृत्रिम या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। यह हमेशा उस चीज के वास्तविक और ठोस विभेद पर आधारित होना चाहिए जिसके संबंध में वर्गीकरण किया गया है और बिना किसी उचित आधार के किए गए वर्गीकरण को अवैध माना जाना चाहिए। [सदर्न रेलवे कं. बनाम ग्रीन, 54 एल एड 536:216 यू. एस. 400, पृ.412 (1910):1910 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 59)] इन प्रस्थापनाओं का हमारे सामने खंडन नहीं किया गया है और यह भी प्रतिवादी की ओर से विवादित नहीं है कि उपधारणा हमेशा किसी अधिनियमन की संवैधानिकता के पक्ष में हो और उस पर हमला करने वाले पर यह दिखाने का भार होता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

मैं विद्वान महान्यायवादी की इस दलील से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूं कि प्रतिवादी को संविधान के अनुच्छेद 14 के संरक्षण का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि जिस कानून की शिकायत की गई है वह 'शत्रुतापूर्ण' विधान का एक हिस्सा है। 'भेदभावपूर्ण' और 'शत्रुतापूर्ण' पदों का उपयोग अमेरिकी न्यायाधीशों द्वारा समान संरक्षण खंड पर चर्चा के संबंध में अक्सर एक साथ और लगभग समानार्थी अभिव्यक्तियों के रूप में किया जाता है। यदि कोई विधान विभेदकारी है और एक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के साथ समान रूप से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

स्थित अन्य व्यक्तियों की तुलना में भेदभाव करता है और पहले वाले को उन विशेषाधिकारों से वंचित करता है जो बाद वाले को प्राप्त होते हैं, तो इसे इस अर्थ में प्रतिकूल माना जाना चाहिए कि यह उस व्यक्ति या वर्ग के हितों को क्षतिकारक रूप से प्रभावित करता है। निःसंदेह, यदि किसी व्यक्ति के हित किसी विशेष विधान से प्रभावित नहीं होते हैं, तो उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन यदि यह साबित हो जाता है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति के साथ कानून के परिणामस्वरूप भेदभाव किया गया है और समान पद पर आसीन अन्य लोगों के साथ समान विशेषाधिकारों से वंचित किया गया है, तो मैं नहीं समझता कि यह उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने मूल अधिकार के आधार पर राहत का दावा करने से पहले यह दावा करे और साबित करे कि कानून बनाते समय विधायिका ने किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ शत्रुतापूर्ण या विरोधी इरादे से काम किया। इसी कारण से मैं विद्वान महान्यायवादी से सहमत नहीं हो सकता कि इस तरह के मामलों में, हमें यह पता लगाना चाहिए कि कानून बनाने में विधायिका का प्रमुख इरादा क्या था और अनुच्छेद 14 के संचालन को बाहर रखा जाएगा यदि यह साबित हो जाता है कि विधायिका का भेदभाव करने का कोई इरादा नहीं था, हालांकि भेदभाव अधिनियम का आवश्यक परिणाम था। जब विधि के क्रियान्वयन में पदाधिकारी के विरुद्ध भेदभाव का आरोप हो तब आशय का प्रश्न आशय का प्रश्न यह निर्धारित करने में सारवान हो सकता है कि क्या पदाधिकारी ने दुर्भावना से कार्य किया या नहीं। [संडे लेक आयरन कं. बनाम वेकफील्ड, 62 एल एड 1154:247 यू एस 350 (1918):1918

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एस. सी. सी. ऑन–लाइन यूएस एससी. 148)] किंतु आशय का प्रश्न तब नहीं उठ सकता जब विभेद स्वयं विधि की अभिव्यक्त शर्तों पर उद्भूत होता है।"

35. रूस्तम कवासजी कूपर (बैंकों का राष्ट्रीयकरण) बनाम भारत संघ[8] के प्रकरण में आर.सी. कूपर, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इण्ड़िया के निदेशक थे, ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए भारतीय संघ के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। न्याायलय ने इस वाद में फैसला सुनाते हुए कहा कि वह केवल तकनीकी आधार पर नागरिकों के मूल अधिकार के उल्लंघन की अनदेखी नहीं कर सकती। न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय आक्षेपित अधिनियम के उद्देश्यों की जांच नहीं करेगा बल्कि वे आक्षेपित अधिनियम के प्रभाव की जांच करेगा।न्यायालय ने इस अधिनियम को अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन पाया क्योंकि केवल 14 बैंकों को भविष्य में बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया गया था जबकि विदेशी बैंकों सहित अन्य बैंकों को भारत में बैंकिंग कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई थी। उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अवलोकन किया गया हैः–

> "संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित न करे। यह अनुच्छेद वर्ग विधान की मनाही करता है, लेकिन कानून बनाने में उचित वर्गीकरण नहीं करता है। किसी अधिनियम के तहत स्वीकार्य वर्गीकरण की कसौटी दो संचयी शर्तों में निहित हैः (1) अधिनियम के अधीन वर्गीकरण को एक ऐसे बोधगम्य अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो समूह से छूट गए व्यक्तियों, संव्यवहारों या चीजों को एक साथ वर्गीकृत करता है। वर्गीकरण के आधार और अधिनियम के उद्देश्य के बीच तारतम्यता होनी चाहिए। आवश्यकता के बारे में विधायी नीति विधायी निर्णय का विषय है

8 (1970) 1 एससीसी 248

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और न्यायालय इसके औचित्य की जांच नहीं करेगा। यह जरूरी नहीं है कि कानून सभी के लिए हो और यह तय करना विधायिका का काम है कि किन श्रेणियों को अपनाया जाएगा। डालमिया के प्रकरण में (राम कृष्ण डालमिया बनाम एस. आर. तेन्दोलकर, 1959 एस. सी. आर. 279) यह कहा गया था कि वर्गीकरण के दो परीक्षण है। प्रथम– एक ऐसा बोधगम्य विभेद होना चाहिए जो एक समूहगत व्यक्तियों या वस्तुओं को उस समूह से अपवर्जित व्यक्तियों और वस्तुओं को पृथक करता है । द्वितीय– विभेद का विधान के द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

36. हाल ही में, **नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम सचिव, विधि न्याय मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ**[9] के प्रकरण में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने भा.द.सं. की धारा 377 को निरस्त करने संबंधी प्रशन पर विचार करते हुए युक्तियुक्त वर्गीकरण की जाँच करने कहा है चूंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। जो इस प्रकार हैः–

"हमें सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की वैधता की जांच करनी चाहिए। अनुच्छेद 14 कहती है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है सभी के साथ समान व्यवहार। यद्यपि विधायिका को किसी विशेष वर्ग के लिए लागू कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है, जैसा कि उस प्रकरण में है जिसमें धारा 377 उन नागरिकों पर लागू होती है जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिर भी इस वर्गीकरण में, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 377 शामिल है, को इस आशय की दोहरी शर्तों को पूरा करना होगा कि वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए और उक्त अंतर का भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के प्रावधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

धारा 377 ने नागरिकों के एक समूह को हाशिये पर डाल दिया है। यह उनकी पहचान को तबाह कर रहा है। सहमति से यौन संबंध में बनाने वाले वयस्कों पर कानून के

---

9 (2018) 10 एससीसी 1

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रतिबंध लगाकर इसने राज्य प्राधिकारियों को सामाजिक रूढियों और भेदभाव को प्रोत्साहित करने का अधिकार दे दिया है। समलैंगिकों, समलैंगिकों, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडरों ने निजी पहचान के चलते कष्ट भोगा है। यदि भयादोहन न हो , नेटवर्क और डिजिटल युग में यौन उन्मुखीकरण शोषण का लक्ष्य बन गया है। धारा 377 का प्रभाव अपराध की सजा से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी पहचान के लिए विनाशकारी रहा है जो एक सम्मानित अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है।

37. इस प्रकरण में, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि पुश्तैनी और गैर–पुश्तैनी भू–स्वामियों के बीच वर्गीकरण एक वर्ग के भू–स्वामियों पर आधारित है जो धरती पुत्र हैं, जबकि अन्य वर्ग केवल भू–स्वामियों के रूप में है, जो सीधे भूमि से जुड़े नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, इस वर्गीकरण का उद्देश्य, जैसा कि उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा कहा गया है, मूल निवासियों, अर्थात, धरती पुत्र का पुनर्वास करना है जो अपनी जमीन के अधिग्रहण के कारण भूमिहीन जाएंगे।

38. जबकि प्रथमदृष्टया, वर्गीकरण और उपर्युक्त वर्गीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य उचित प्रतीत होते हैं, तथापि, चीजे जितनी आसान होती है किन्तु उसका विवरण उनता ही जटिल होता है। ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए औचित्य में यह माना गया है कि केवल पुश्तैनी भूस्वामी ही स्थायी रूप से विषय भूमि में रहते हैं या विषय भूमि केवल पुश्तैनी भूस्वामियों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है, और इस धारणा को प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुभवजन्य डेटा का समर्थन नहीं किया गया है।

39. जबकि ग्रेटर नोएडा द्वारा किया गया वर्गीकरण उचित प्रतिकर देने के उद्देश्य पर आधारित है, तथापि, वर्गीकरण का ऐसा प्रशंसनीय उद्देश्य ऐसे वर्गीकरण के प्रभावों से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भंग हो जाएगा, जिससे उद्देश्य और उसके प्रभाव के बीच विसंगति पैदा होगी। कई गैर–पुश्तैनी भू–स्वामियों, जिनके निवास का मुख्य क्षेत्र या उनकी आय का मुख्य स्रोत भी विषय भूमि है, को बड़े भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ेगा, यदि वह मुआवजा उन्हें नहीं दिया जाता है जो पुश्तैनी भू–स्वामियों को दिया गया है।

40. इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस स्तर पर न्यायालय प्रत्यर्थी प्राधिकारी के दावों को सत्यापित करने के लिए तथ्य की खोज मिशन में नहीं लग सकता है। इस तरह के वर्गीकरण को सही ठहराने के लिए, प्रत्यर्थी प्राधिकारी को अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए था। बिना किसी साक्ष्य के केवल बयानों को हम उक्त वर्गीकरण के औचित्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं , जिसका वर्गीकरण के हारने वाले पक्ष पर कमजोर प्रभाव पड़ सकता है।

41. अनुच्छेद 14 की कठिन कसौटी पर खरा उतरने के लिए, आक्षेपित वर्गीकरण को न केवल उपर्युक्त परीक्षण से गुजरना होगा बल्कि वेन्सबरी सिद्धांत पर और विस्तारशः आनुपातिक परीक्षण में भी सफल होना पड़ेगा ।

<u>वेन्सबरी सिद्धांत</u>

42. **एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेज लिमिटेड बनाम भारत संघ**[10] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है। किंग्स पीठ डिवीजन के समक्ष यह प्रश्न था कि किन परिस्थितियों में न्यायालय प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इस पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा किया कि प्रशासनिक विनिश्चयों में हस्तक्षेप केवल तभी अनुज्ञेय है जब (i) आदेश विधि के प्रतिकूल है (ii) या प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया गया है , या (iii) अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया था या (iv) या निर्णय ऐसा था कि समान

10 [1948] 1 के.बी. 223

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

परिस्थितियों में कोई अन्य प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकता था। इस निर्णय का प्रासंगिक प्रस्तर निम्नानुसार हैः–

> परिणामस्वरूप, इस अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए। मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बार फिर लागू सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा। न्यायालय यह देखने की दृष्टि से स्थानीय प्राधिकारी की कार्रवाई की जांच करने का हकदार है कि क्या उन्होंने ऐसे मामलों को विचार किया है, जिन पर उन्हें विचार नहीं करना चाहिए या इसके विपरीत उन्होंने उन मामलों पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिन पर उन्हें विचार करना चाहिए। एक बार जब इस प्रश्न का उत्तर स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में दे दिया जाता है, तब भी यह कहना संभव है कि यद्यपि स्थानीय प्राधिकारी ने उन मामलों के चार कोनों के भीतर रखा है जिन पर उन्हें विचार करना चाहिए, फिर भी वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोई भी युक्तियुक्त प्राधिकारी उस पर कभी नहीं पहुंच सकता था। ऐसे प्रकरण में, मुझे राय है कि अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।
>
> प्रत्येक वाद में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय की शक्ति अपीलीय प्राधिकारी के रूप में स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय को रद्द करने के लिए नहीं है, बल्कि एक न्यायिक प्राधिकारी के रूप में है, और केवल यह देखने के लिए कि क्या स्थानीय प्राधिकारी ने संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति से अधिक शक्ति का प्रयोग करके कार्यवाही करते हुए विधि उल्लंघन किया गया। यह अपील वाद व्यय के साथ खारिज कर दी जानी चाहिए।"

43. वेन्सबरी सिद्धांत को सर्वप्रथम भारतीय न्यायशास्त्र में **ओम कुमार और अन्य बनाम भारत का संघ के प्रकरण**[11] शामिल किया गया था। जहां पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था कि न्यायायलय कब कार्यकारी विधि बनाने के मामलों में अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस न्यायालय ने, वेन्सबरी के प्रकरण में प्रतिपादित उसी सिद्धांतों को दोहराया। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः–

11(2001) 2 एससीसी 386

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

1948 में, वेन्सबरी वाद [(1948) 1 केबी 223:(1947) 2 ऑल ईआर 680 (सीए) में लार्ड ग्रीन ने कहा गया है कि जब कोई अधिनियम किसी प्रशासक को निर्णय लेने का विवेकाधिकार देता है तो न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा सीमित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि निम्नलिखित शर्तों में से एक या अन्य की पूर्ति नहीं हो जाती है, अर्थात यह आदेश कानून के विपरीत है, या प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया गया है, या अप्रासंगिक कारकों को महत्वपूर्ण माना गया है या निर्णय ऐसा है जो कोई भी उचित व्यक्ति नहीं ले सकता है। प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता का आँकलन करने के लिए ब्रिटेन और भारत में इन सिद्धांतों का अनवरत रूप से पालन किया गया था। "

44. ग्रेटर नोयडा द्वारा किया गया वर्गीकरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम या उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण नियमों में अपना आधार नहीं पाता है और इसलिए यह कानून के विपरीत है। उक्त वर्गीकरण प्रासंगिक बिन्दुओं पर विचार नहीं किये जाने से प्रभावित है। प्राधिकरण ने किसी भी अनुभवजन्य डेटा को ध्यान में रखे बिना, या गैर–पुश्तैनी भूस्वामियों के भूमिहीन होने या आय के प्राथमिक स्रोत के बिना होने की किसी भी संभावना की गणना के बिना, विवादित वर्गीकरण किया। चूंकि इन सुसंगत कारकों पर विचार नहीं किया गया है इसलिए गैर–पुस्तैनी भू–स्वामियों के प्रति गम्भीर अन्याय हो सकता है।

45. इसके अतिरिक्त, ग्रेटर नोयडा ने अन्तिम तिथि के आधार पर भूमि मालिकों को मनमाने ढंग से पुश्तैनी और गैर–पुश्तैनी के रूप में वर्गीकृत करके एक अप्रासंगिक कारक पर विचार किया है। अन्तिम तिथि अपने आप में इस बात का संकेत नहीं है कि भूमि का स्वामी कौन हैं? चूंकि वर्गीकरण करते समय इन तीन कारकों का अनुपालन नहीं किया गया है इसलिए न्यायालय को ऐसे वर्गीकरण को रद्द कर देना चाहिए।

46. जबकि वेन्सबरी सिद्धांत को निर्वचन के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में उपयोग किया गया है, भारतीय न्यायालय ने अब यह देखने के लिए अत्यधिक कठोर परीक्षण,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अर्थात्, आनुपातिकता परीक्षण को अपनाया है कि क्या कोई प्रशासनिक कार्रवाई अनुच्छेद 14 की कठोरता से गुजर सकती है।

<u>आनुपातिक परीक्षण</u>

47. **ओम कुमार (पूर्वोक्त)** के वाद में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रशासनिक उपाय वांछित परिणाम प्राप्ति के लिए आवश्यक से अधिक कठोर नहीं होना चाहिए। यह भारतीय न्यायशास्त्र में आनुपातिकता परीक्षण का पहला औपचारिक परिचय था, हालांकि न्यायालय ने इंगित किया कि इस निर्णय से पहले भी भारतीय न्यायालयों द्वारा आनुपातिकता परीक्षण का उपयोग किया गया है। उक्त रिपोर्ट के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:–

> "27. यह सिद्धांत उन्नीसवीं शताब्दी में प्रशिया में उत्पन्न हुआ और तब से जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में अपनाया गया है। लक्ज़मबर्ग की यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस और स्ट्रासबर्ग की यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता को परखते हुए इस सिद्धांत को लागू किया। लेकिन उससे भी बहुत पहले, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 1950 से विधायी कार्रवाई में आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू किया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।
>
> 28. "आनुपातिकता" "से हमारा यह प्रश्न अभिप्रेत है कि क्या, मूल अधिकार के प्रयोग को विनियमित करते समय, यथा स्थिति, विधान के उद्देश्य या प्रशासनिक आदेश के प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए विधानमंडल या प्रशासक द्वारा उपायों का समुचित या न्यूनतम प्रतिबंधात्मक चयन किया गया है। इस सिद्धांत के तहत, न्यायालय यह देखेगा कि विधायिका और

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रशासनिक प्राधिकारी उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिसे वे पूरा करना चाहते थे, व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं या हितों पर कानून या प्रशासनिक आदेश के प्रतिकूल प्रभावों के बीच उचित संतुलन बनाए रखें। तथापि, विधायिका और प्रशासनिक प्राधिकारी को विवेकाधिकार का क्षेत्र या विकल्पों की एक श्रृंखला दी जाती है किंतु यह कि किया गया चयन अधिकारों का अत्यधिक अतिक्रमण करता है या नहीं, यह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना है। आनुपातिकता का यही अर्थ है।

29. आनुपातिकता के उपर्युक्त सिद्धांत को यूरोपीय न्यायालय द्वारा मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए यूरोपीय कन्वेंशन, 1950 के अधीन गारंटीकृत अधिकारों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है और विशेष रूप से, इस पर विचार करने के लिए कि क्या लगाए गए प्रतिबंध ऐसे प्रतिबंध थे जो उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 8 से 11 [हमारे अनुच्छेद 19 (1) के अनुरूप] के भीतर 'आवश्यक' थे और यह पता लगाने के लिए कि क्या मौलिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध आवश्यकता से अधिक थे। (हैंडीसाइड बनाम यूके [(1976) 1 ईएचआर 737] कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 और 5 में जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के समान प्रावधान हैं। यूरोपीय न्यायालय ने कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 के तहत (हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप) भेदभाव के प्रश्नों पर भी आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू किया है। (जे. श्वार्ज द्वारा लिखित यूरोपीय प्रशासनिक व्यवस्था 1992, पृष्ठ 677–866 देखें)।

30. वर्ष 1950 से ही हमारे संविधान के भाग III में मूल अधिकार पर एक अध्याय के कारण, भारतीय न्यायालय उस विकलांगता से पीड़ित नहीं थे

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जिसका अनुभव अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा आनुपातिकता के सिद्धांत पर विधान को असंवैधानिक घोषित करने या अधिकारों के चार्टर के बनाने में महसूस करती थी। वर्ष 1950 से ही आनुपातिकता का सिद्धांत भारत में विधायी (और प्रशासनिक) कार्रवाई पर सख्ती से लागू किया जा रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में वर्णित मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले विधान की वैधता के बारे में विचार करते समय–जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ और समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने–जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता–इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर मिला है कि क्या विधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध स्थिति के अनुरूप नहीं थे और वे न्यूनतम प्रतिबंधात्मक थे। यह दिखाने के लिए कि प्रतिबंध उचित था, सबूत का बोझ राज्य पर पड़ा। अनुच्छेद 19 (2) से (6) के तहत इन स्वतंत्रताओं पर केवल विधान द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और न्यायालयों को प्रतिबंधों की आनुपातिकता पर विचार करने का अवसर मिला है। इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में इस बात पर विचार किया गया कि किस हद तक उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चिंतामनराव बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1950 एससीसी 695:एयर 1951 एस सी 118:1950 एस. सी. आर. 759)] के मामले में न्यायमूर्ति महाजन (तत्समय) ने यह मत व्यक्त किया कि "युक्तियुक्त निर्बंध" जो राज्य मूल अधिकारों पर लगा सकता है उससे मनमाना या कठोर प्रकृति का नहीं होना चाहिए जो जनता के हित में आवश्यक हो।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

31."युक्तियुक्त" का तात्पर्य बुद्धिमत्तापूर्ण और सुविचारित था, अर्थात्, एक ऐसे मार्ग का चयन जो तर्क सुझाता हो। ऐसा विधान जो अधिकार पर मनमाने ढंग से या कठोर हमला करे उसे तर्कसंगतता की गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाला नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वह अनुच्छेद 19 (2) से (6) के अधीन गारंटीकृत अधिकारों और अनुज्ञेय नियंत्रण के बीच उचित संतुलन न बनाए। वरना, इस गुण की कमी समझी जानी चाहिए। पतंजलि शास्त्री, मुख्य न्यायाधीश, ने मद्रास राज्य बनाम वीजी रो [(1952) 1 एससीसी 410:एआई आर 1952 एससी 196:1952 एससीआर 597:1952 क्रिमि. एल. जे. 966] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया कि न्यायालय को कथित अधिकार जिसका उल्लंघन किया गया है, की प्रकृति, अधिरोपित प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, उस बुराई की सीमा और तात्कालिकता जिसे उपचारित किया जाना है, अधिरोपण का असंतुलन, उस समय की प्रचलित स्थितियों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। विधान के सापेक्ष आनुपातिकता के इस सिद्धांत का उल्लेख न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम मैकडावेल & कं. [(1996) 3 एस. सी. सी. 709] के मामले में हाल ही में किया। पिछले पचास वर्षों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में इस स्तर की जांच एक सामान्य विशेषता रही है। हजारों की संख्या में अभिनिर्धारित मामले हैं।

32. जहां तक अनुच्छेद 14 का संबंध है, भारत के न्यायालयों ने जांच की कि क्या वर्गीकरण बोधगम्य विभाजक पर आधारित था और क्या विभाजक का विधान के उद्देश्य के साथ युक्तियुक्त संबंध था। स्पष्ट रूप से, जब न्यायालयों ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या वर्गीकरण बोधगम्य अंतर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पर आधारित था, तो न्यायालय विभेदों की वैधता और विभेदों की पर्याप्तता की जांच कर रहे थे। यह और कुछ नहीं बल्कि आनुपातिकता का सिद्धांत है। ऐसे भी मामले हैं जहां विधान या नियम अनुचित होने के अर्थ में मनमाने होने के कारण रद्द कर दिए गए हैं [एयर इंडिया बनाम नेरगेश मीर्जा [(1981) 4 एससीसी 335] :1981 एससीसी. (एल एंड एस.) 599] (एससीसी पृष्ठ 372-373)। किंतु केवल "मनमानेपन" के आधार पर विधान को निरस्त करने के इस पश्चात्वर्ती पहलू पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी [(1996) 3 एससीसी 709] के मामले में संदेह किया गया है।

33. आस्ट्रेलिया और कनाडा में, कानूनों की विधिमान्यता का परीक्षण करने के लिए आनुपातिकता का सिद्धांत लागू किया गया है [देखें कनलिफ बनाम राष्ट्रमंडल [(1994) 58 ऑस्ट एलजे 791] ऑस्ट एलजे (827,839) (799,810,821)]। आर. वी.ओक्स [(1986) 26 डीएलआर (चौथा) 200] डिक्सन के मामले में, कनाडा के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया है कि आनुपातिकता परीक्षण के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं।पहला, अपनाए गए उपायों को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया जाना चाहिए। उन्हें मनमाना, अनुचित या तर्कहीन नहीं होना चाहिए। संक्षेप में, उन्हें तार्किक रूप से उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरे, साधनों को न केवल प्रथम अर्थ में उद्देश्य से तार्किक रूप से जुड़ा होना चाहिए, बल्कि प्रश्नगत स्वतंत्रता के अधिकार को यथासंभव कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। तीसरा, उपायों के प्रभावों और उद्देश्य के बीच आनुपातिकता होनी चाहिए।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आनुपातिकता के संदर्भ में, देखें रॉस बनाम ब्रंसविक स्कूल डिशुट नं. 15 [(1996) 1 एससीआर 825] (एससीआर पृष्ठ 872 पर)। अंग्रेजी न्यायालयों के पास इस सिद्धांत को विधान में लागू करने का कोई अवसर नहीं था। पीड़ित पक्षों को एक घोषणा के लिए स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय अदालत में जाना पड़ा।

"34. संयुक्त राज्य अमेरिका में, सिटी ऑफ बोरने बनाम फ्लोरेस [(1997) 521 यूएस 507] में आनुपातिकता के सिद्धांत को विधायिका द्वारा यह कहते हुए लागू किया गया है कि" "नुकसान को रोका या उपचारित किया जाना चाहिए और उसके लिए अपनाए गए उपायों के बीच एकरूपता और आनुपातिकता होनी चाहिए।"

35. इस प्रकार, यह सिद्धांत कि मौलिक स्वतंत्रता पर निर्बन्धनों से संबंधित विधान का परीक्षण आनुपातिकता के आधार पर किया जा सकता है, भारत में कभी संदेह नहीं किया गया है इसको अदालतों द्वारा विधान की वैधता का प्राथमिक पुनर्विचार कहते हैं जिससे मौलिक स्वतंत्रताओं का हनन हुआ हो।

"45."मानवाधिकार अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 3 (1) के तहत आंग्ल न्यायालय अब विधायी कार्रवाई को अनुसूची में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रताओं के साथ असंगत घोषित कर सकता है। इसके बाद मंत्री इस असंगति को दूर करने के लिए आवश्यक संशोधन करने के लिए इसे संसद में पेश करेंगे। ऐसा करते समय, आंग्ल न्यायालय अब विधायी और प्रशासनिक कार्रवाई की सख्त जांच या आनुपातिकता लागू कर सकता है। इस सिद्धांत को अब आंग्ल विधि के केंद्र के रूप में देखा जाता है (देखेंः हार्ने हिल के लार्ड लेस्टर द्वारा रचित मानव अधिकार विधि और व्यवहार, क्यू. सी. और डेविड पनिक क्यू. सी., 1999, का प्रस्तर 3.16)। मानवाधिकारों का प्रयोग करते हुए वडनेसबरी की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तर्कहीनता की सीमा को जितना कम किया जाएगा, अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 13 के साथ एक प्रभावी उपचार के रूप में न्यायिक पुनर्विलोकन करना उतना ही आसान हो जाएगा।

48. आनुपातिकता की यह कसौटी भारतीय न्यायालयों द्वारा वर्षों से विकसित की गई है और अब यह पांच सूत्री कसौटी का रूप ले चुकी है। **के. एस. पुट्टास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**[12] के मामले में और हाल ही में **गुजरात मजदूर सभा और अन्य बनाम गुजरात राज्य**[13] के मामले में दिए गए निर्णय में कहा गया है।

49. **एस. पुट्टास्वामी (उपरोक्त)** के मामले में, इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने इस प्रश्न का विनिश्चय करते हुए कि क्या भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को निजता के मूल अधिकार की गारंटी देता है, राज्य उपायों के परिणामस्वरूप अधिकारों के अतिलंघन के संबंध में 'आनुपातिकता और वैधता के सिद्धांत' की व्याख्या की। यह माना गया कि राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा के लिए आनुपातिकता आवश्यक है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य के अनुपात में है। जबकि एक पूर्वोक्त सिद्धांत को चार सूत्री परीक्षण में संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया:

"... कार्रवाई को कानून द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए;

---

12 (2017) 10 SCC 1

13 (2020) 10 SCC 459

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रस्तावित कार्रवाई एक लोकतांत्रिक समाज में एक वैध उद्देश्य के लिए आवश्यक होनी चाहिए;

इस तरह के हस्तक्षेप की सीमा इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में होनी चाहिए;

इस तरह के हस्तक्षेप के दुरुपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक गारंटी होनी चाहिए।"

50. **गुजरात मजदूर सभा (उपरोक्त)** के वाद में, केंद्र सरकार ने कोविड–19 के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर अकुशल श्रमिकों के वेतन को प्रभावित करने वाली एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन, विशेष रूप से आनुपातिकता के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि किया कि राज्य की कार्रवाई जिनसे मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है उसकी वैधता का निर्धारण करने के लिए उसे निम्नलिखित शर्तें तय करनी चाहिए, अर्थात् (i) मूल अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई राजकीय उद्देश्य होना चाहिए, (ii) उक्त अधिकार उल्लंघन आदेश वाला उपाय हस्तक्षेप करने वाले और राज्य के लक्ष्य के बीच एक तर्कसंगत संबंध पर आधारित होना चाहिए, (iii) यह उपाय आवश्यक रूप से राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले होना चाहिए, (iv) वैध उद्देश्य की रक्षा के लिए प्रतिबंध आवश्यक होना चाहिए, और (v) राज्य को ऐसे अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले हस्तक्षेप के दुरुपयोग की संभावना के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आनुपातिकता की इन शर्तों के आधार पर, इस न्यायालय ने अधिसूचना को रद्द कर दिया।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

51. यद्यपि पांचवें भाग, जैसा कि **गुजरात मजदूर सभा (उपरोक्त)** में उल्लेख किया है, पुट्टास्वामी के मामले में तत्कालीन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, हमारे विचार से गुजरात मजदूर सभा के वाद में (पूर्वोक्त) परीक्षण को पूरा करने के लिए सही रूप से पढ़ा गया है। राज्य की कार्रवाई, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इस प्रकार मूल अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग के खिलाफ एक खतरे के रूप में कार्य करती है जिसको संवेदनशील संतुलन कार्य में आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए, और न्यायपालिका से इस तरह की राज्य द्वारा की गई कार्रवाई की संवैधानिकता को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है– चाहे वह विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक या अन्यथा हो। फैसले के इस निर्णय का सुसंगत प्रस्तर का उल्लेख यहां किया गया हैः

> "आनुपातिकता के सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में मान्यता दी गई है, जिसमें से के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ का फैसला महत्वपूर्ण है। आनुपातिकता के सिद्धांत में राज्य की कार्रवाई की वैधता को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों के विश्लेषण की परिकल्पना की गई है जो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डाल सकती हैः
>
> (i) मूल अधिकार में हस्तक्षेप करने वाला कानून किसी वैध राज्य के लक्ष्य के अनुसरण में होना चाहिए।
>
> (ii) मूल अधिकार और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में बाधा डालने या सीमित करने वाले अधिकारों के उल्लंघन के उपायों का औचित्य उन उपायों, वास्तव में स्थिति और लक्षित उद्देश्य के बीच एक तर्कसंगत संबंध के अस्तित्व पर आधारित होना चाहिए।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(iii) उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपाय आवश्यक होने चाहिए और लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

(iv) निर्बन्धनों से न केवल वैध प्रयोजनों की पूर्ति होनी चाहिए बल्कि उनको उसका संरक्षण भी करना चाहिए।

(v) राज्य को इस तरह के हस्तक्षेप के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों में हम बल पाने में में असमर्थ हैं। आक्षेपित अधिसूचनाएं राज्य में सभी कारखानों की ऊपरी लागत को कम करने के अलावा, उनके विनिर्मित उत्पादों की प्रकृति को ध्यान में रखे बिना, किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं। महामारी के दौरान उचित संभावना के भाग जी 30 के दायरे में श्रमिकों को तत्कालिक आवश्यकता के दौरान उनके मूल्यवान श्रम की आपूर्ति के लिए उचित मुआवजा देने के लिए, यदि जीवन रक्षक दवाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों या सैनिटाइजर जैसे चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करने वाले कारखानों को धारा 65 (2) के माध्यम से छूट दी जाएगी, यह समझ से परे होगा । हालांकि, सभी कारखानों को छूट की एक व्यापक अधिसूचना, चाहे वे विनिर्मित उत्पाद हों, कामगारों को ओवरटाइम से वंचित करते हुए, पहले से ही समाज के एक कमजोर वर्ग को गुलामी की जंजीरों में बांधने के लिए महामारी का लाभ उठाने के इरादे का संकेत देती है।"

52. हमने पहले ही युक्तियुक्त वर्गीकरण परीक्षण की चर्चा कर कहा है कि हस्तक्षेप करने वाले कानून, अर्थात् आक्षेपित अधिसूचना, जो वर्गीकरण का सृजन करती है उनका उद्देश्य के साथ तार्किक संबंध नहीं है जिसको प्राप्त किया जाना है और इस प्रकार, आनुपातिकता परीक्षण की प्रथम दो बिन्दुओं का उल्लंघन करती है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

53. पुनः हम आनुपातिकता परीक्षण के तीसरे और चौथे भाग पर आते हैं, अर्थात, क्या प्राधिकरण द्वारा सृजित वर्गीकरण उन भू–स्वामियों को मुआवजा देने के राज्य के उद्देश्य को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना चाहता था जो उस भूमि के प्रत्यक्ष निवासी हैं अथवा वह भूमि का उनके आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में मौजूद है और क्या ऐसा उपाय प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के आनुपातिक था। इसके लिए, अधिनियम की धारा 23 का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जो उन मामलों का उपबंध करती है जिसका मुआवजा निर्धारित करते समय विचार किया जाना चाहिए। उक्त धारा इस प्रकार हैः– –

> 23. मुआवजा निर्धारित करने में विचार किए जाने वाले बिन्दु–
>
> (1) इस अधिनियम के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए अधिनिर्णीत की जाने वाली मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय, न्यायालय निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा।
>
> पहला, [धारा 4, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना] के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य.
>
> दूसरा, किसी खड़ी फसल को लेने के कारण हितबद्ध व्यक्ति हुयी क्षति, जो कलेक्टर द्वारा कब्जा लेने के समय भूमि पर मौजूद हो।
>
> तीसरा, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अपनी अन्य भूमि से ऐसी भूमि की तामील करने के कारण, किसी अन्य रीति से अपनी अन्य संपत्ति, चल या अचल संपत्ति या अपनी आय को क्षति पहुंचाने वाले अर्जन के कारण, भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति द्वारा की गई क्षति (यदि कोई हो)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पांचवां, कलेक्टर द्वारा भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप, हितबद्ध व्यक्ति को अपना निवास या कारबार का स्थान, ऐसे परिवर्तन के आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय, यदि कोई हो, बदलने के लिए विवश किया जाता है, और

छठा, धारा 6 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलेक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय के बीच भूमि के लाभों को कम करने के परिणामस्वरूप सद्भावपूर्वक हुआ नुकसान (यदि कोई हो)।"

54. धारा 23 के केवल अवलोकन से पता चलता है कि ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा कथित वर्गीकरण के आधार पहले से ही अधिनियम की धारा 23 आच्छादित हैं। कथित धारा का पांचवां बिंदु प्रभावित भूस्वामियों के पुनर्वास के लिए मुआवजे की आवश्यकता को पूरी तरह से आच्छादित करता है। धारा में पहले से मौजूद प्रावधान की उपस्थिति में, ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा बनाया गया वर्गीकरण, उक्त धारा के आगे बढ़ने के लिए न कि इसके विरोध करने के लिए होना चाहिए।

55. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यदि इस वर्गीकरण को अस्तित्व में बने रहने दिया जाता है, तो कई गैर–पुश्तैनी भूमि मालिक जिन्हें पुनर्वास की भी आवश्यकता पड़ सकती है, मुआवजे के बिना खुद को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस त्रुटि को यदि बने रहने दिया जाता है तो इससे न केवल अधिनियम के उद्देश्य को अमान्य हो जाएगा, बल्कि आनुपातिकता परीक्षण के तीसरे और चौथे सिद्धांत का भी उल्लंघन होगा, और इसलिए यह रद्द किये जाने योग्य है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

56. इसके अलावा, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस वर्गीकरण को भले ही अस्तित्व में रहने की अनुमति दी जाए, फिर भी इसके संभावित दुरुपयोग के प्रति कोई सुरक्षा नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपने वर्गीकरण के माध्यम से उक्त अधिसूचना विनाशकारी संकट उत्पन्न करती है, और अधिसूचना इस तरह के संभावित दुरुपयोग को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं करती है। उक्त वर्गीकरण के लिए कोई दिशा–निर्देश मौजूद नहीं हैं और न ही कोई प्रतिबंध लगाया गया है। यदि इस तरह के वर्गीकरण की परीक्षण नहीं किया जाता है, तो यह गलत प्रथा बन जाएगी जो भविष्य में विनाशकारी सिद्ध होगा। मौलिक दिशानिर्देशों की यह कमी आनुपातिकता परीक्षण के पांचवें भाग का भी उल्लंघन करती है।

57. निर्धारित सिद्धांतों से उत्पन्न उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर , मुद्दा संख्या–2 का उत्तर सकारात्मक और अपीलार्थीओं के पक्ष में दिया गया है, और आक्षेपित वर्गीकरण रद्द किये जाने योग्य है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

<u>क्या उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा पुश्तैनी भू–स्वामियों और गैर–पुश्तैनी भू–स्वामियों के बीच किया गया वर्गीकरण नागपुर सुधार न्यास और अन्य बनाम विट्ठल राव और अन्य (1973) 1 एस. सी. सी. 500 के वाद में इस माननीय न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का उल्लंघन है?</u>

58. नागपुर सुधार न्यास (पूर्वोक्त) के वाद में इस माननीय न्यायालय आयोग को इस प्रश्न पर विचार करने का काम सौंपा था कि क्या नागपुर सुधार ट्रस्ट

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम, 1936 के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। यहां उक्त अधिनियम के आक्षेपित उपबंधों में विहित दरों से कम दरों पर भूमि के अधिग्रहण की अनुमति प्रदान की गई थी। हमारे मामले में जो बात सुसंगत है वह यह है कि न्यायालय ने इस मामले को निपटाते हुए कहा कि प्राधिकारी भूमि के अधिग्रहण के समय भू–स्वामी के प्रकारों के बीच भेद नहीं कर सकती है क्योंकि भूमि का अधिग्रहण लोकहित के लिए होता है न कि इसलिए कि किस प्रकार के भूस्वामी के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस निर्णय का सुसंगत प्रस्तर इस प्रकार हैंः–

> "अब यह सुनिश्चित हो गया है कि राज्य विधान के प्रयोजन के लिए उचित वर्गीकरण कर सकता है। यह तय हो चुका है कि वर्गीकरण को युक्तियुक्त होने के लिए दो परीक्षणों को पूरा करना चाहिएः वर्गीकरण बोधगम्य विभेद पर आधारित होना चाहिए और विभेद का विवादग्रस्त विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।
>
> इस संबंध में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उद्देश्य को स्वयं विधिसम्मत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, स्वयं उद्देश्य विभेदकारी नहीं हो सकता है, अन्यथा, यदि उद्देश्य अल्पसंख्यक के किसी वर्ग के प्रति विभेदकारी है तो इस आधार पर विभेद को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है कि यह एक युक्तियुक्त वर्गीकरण है क्योंकि यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यदि विधायन का उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण करना है तो मुआवजा निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए उचित वर्गीकरण क्या हो सकता है?

यह विवादित नहीं होगा कि अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे के विभिन्न सिद्धांतों को इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता है कि भू–स्वामी बूढ़ा या युवा, स्वस्थ या बीमार, लंबा या छोटा है, या क्या भू–स्वामी ने संपत्ति विरासत में प्राप्त की है या अपने मेहनत से इसे बनाया है, या भू–स्वामी राजनीतिज्ञ या अधिवक्ता है। इस तरह का वर्गीकरण स्थायी क्यों नहीं है? किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किए जाने वाले उद्देश्य को समान रूप से प्राप्त किया जाता है चाहे वह भूमि किसी एक प्रकार के स्वामी की हो या किसी अन्य प्रकार की।"

59. हमारी राय में, उपरोक्त निर्णय के पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि खास मुआवजा देने के उद्देश्य से ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा किया गया वर्गीकरण विधि में गलत है, और यह ठीक इसी तरह का वर्गीकरण है जिसे प्रतिबंधित किया गया है। जब भूमि के अधिग्रहण का उद्देश्य व्यापक रूप से जनहित के लिए होता है, तो इस उद्देश्य के लिए कथित भू–स्वामी की प्रकृति महत्वहीन है। यदि भू–स्वामी की प्रकृति के आधार पर इस तरह के वर्गीकरण की अनुमति दी जाती है, तो उसी आधार पर, भविष्य के वर्गीकरण की संभावना हो सकती है जहां समाज के अधिकार रखने वाले सदस्यों को अधिक मुआवजा मिल सकता है, और हाशिए पर पड़े लोगों को कम मुआवजा मिल सकता है। इस न्यायालय ने उपरोक्त फैसले में यही भविष्यवाणी की थी और इस तरह के मनमाने वर्गीकरण को रोकने के लिए कानून में स्थिति स्पष्ट की थी।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

60. भूमि अधिग्रहण अधिनियम भू–स्वामी के वर्गों के बीच अंतर नहीं करता है और भूमि स्वामी के सभी वर्गों को समान रूप से मुआवजा प्रदान करता है। उपरोक्त उल्लिखित तर्क के आधार पर पुश्तैनी भू–स्वामी और गैर–पुश्तैनी भू–स्वामी के बीच किया गया वर्गीकरण **नागपुर न्यास वाद (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित विधि और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

<u>निष्कर्ष</u>

61. उपरोक्त उल्लिखित तर्क के आलोक में, हमारी यह राय है कि दोनों कार्यकारी कार्यवाहियों द्वारा किया गया वर्गीकरण कानून के लिहाज से गलत है और यह अपास्त किये जाने योग्य है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में इस तरह के वर्गीकरण के आधार पर किसी भी प्रकार अलग से मुआवजे देने की परिकल्पना नहीं की गई है, और इसलिए, इस न्यायालय को अधिनियम की धारा 23 की सीमाओं के अधीन रहते हुए कार्यकारी कार्यवाही द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुआवजे का अनुमान लगाना चाहिए।

62. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 23 में अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन के मामलों में प्रतिकर मंजूर करने के लिए आधारों की बात करता है। इस अधिनियम के अनुरूप दोनों कार्यकारी कार्रवाहियों को केवल पढ़ने से पता चलेगा कि पुनर्वास के लिए मुआवजा देने की आवश्यकता कानून में मान्य है और मूल कानून द्वारा समर्थित है। तब, शरारत केवल ऐसे कार्यों द्वारा किए गए

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मनमाने वर्गीकरण तक ही सीमित है। ऐसे वाद में, हमारी राय है कि चूंकि शरारत केवल वर्गीकरण के अधीन की गई है, इसलिए इसे भंग किया जा सकता है, और पुनर्वास के उद्देश्य के लिए मुआवजा देने के लिए निर्धारित कार्यकारी कार्रवाई का शेष हिस्सा कानून में मान्य रहेगा।

63. एक बार वर्गीकरण को हटा दिया जाए और कार्यकारी कार्रवाई को मूल अधिनियम के अनुरूप पढ़ा जाए, तो हम देखेंगे कि अधिनियम, और वर्तमान कार्यकारी कार्रवाई भी मुआवजे के मामले में भेदभाव नहीं करती है और अनुग्रह भुगतान और बढ़ी हुई मूल धनराशि संबंधित क्षेत्र के सभी भू–स्वामियों को दिया जाना चाहिए, जैसा कि कार्यकारी कार्यवाहियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है ।

64. इस स्तर पर, हम यह बताना चाहते हैं कि भले ही उक्त वर्गीकरण का उद्देश्य नेक रहा हो, तथापि, केवल अनुमान के आधार पर ऐसा वर्गीकरण बरकरार नहीं रखा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के वर्ग के बीच अंतर करने के लिए कोई दावा किया जा रहा है, तो ऐसे दावे को आनुभविक डेटा द्वारा समर्थित होना चाहिए। चूंकि यह न्यायालय तथ्यान्वेषी न्यायालय नहीं है और यह विधि का न्यायालय है, विधि को अलग–थलग करके नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसे उस संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिस संदर्भ में यह विद्यमान है, क्योंकि विधि संविधियों के भीतर आने वाली किसी वस्तु के रूप में विद्यमान नहीं रहती है, बल्कि उन लोगों के साथ रहती है और विकसित होती है जिन्हें वह शासन करती है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

65. इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक कार्रवाई के मामलों में, भले ही वर्गीकरण का अधिसूचना के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो तथापि वर्गीकरण को मूल अधिनियम द्वारा भी वैधता प्रदान की जानी चाहिए। यदि मूल अधिनियम वर्गीकरण करने की अनुमति नहीं देता है और भले ही अधिसूचना वर्गीकरण की तुलना में अनुच्छेद 14 की कसौटियों को पास करने में योग्य है तब भी इसे रद्द कर दिया जाएगा यदि मूल अधिनियम इसकी अनुमति नहीं देता है।

66. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ग्रेटर नोएडा की स्थापना एक नेक उद्देश्य के लिए की गई थी, अर्थात् देश के हर कोने से बेहतर जीवन की तलाश में आने वाले सभी लोगों को शहर में समायोजित करना। हालांकि, ऐसा करते समय, जैसा कि वर्तमान वाद में देखा जा सकता है, कुछ निवासियों के साथ भेदभाव किया गया जिनकी भूमि उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिग्रहण के अधीन थी । ऐसी परिस्थिति में, यह इस न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह न्याय प्रदान करे और भेदभाव के कारण होने वाले नुकसान संशोधित करे।

67. उपर्युक्त चर्चाओं को दृष्टिगत, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय पोषणीय नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका पर अनुमति प्रदान की जाती है और अपीलार्थी उक्त रिट याचिका में दावाकृत अनुतोषों को प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

68. तदनुसार, इन अपीलों पर अनुमति प्रदान की जाती है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

69. इन तथ्यों और परिस्थितियों में, हम वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं पारित कर रहे हैं।

.....

(न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी)

.....

(न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट)

नई दिल्ली

20 फरवरी, 2023

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।